B. A. I(Political Science II)

ब्रिटेन की लॉर्ड सभा - संगठन, कार्य और शक्ति

प्रश्न 3. लार्ड सभा की रचना कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

अथवा

लॉर्ड सभा के संगठन, कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसे एक दुर्बल सदन क्यों कहा जाता है ?

अथवा

" ब्रिटेन की लॉर्ड सभा विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है।" इस कथन के सन्दर्भ में लॉर्ड सभा के गठन, कार्यों एवं शक्तियों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।

उत्तर - ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीनतम कानून बानाने वाली संस्था है और लार्ड सभा इसका सबसे पुराना सदन है। ऐतिहासिक दृस्टि से लार्ड सभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है जो ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन की पूर्ति करता है। ब्रिटिश संसद् द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है।ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं। संसद के उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निचले सदन को कॉमन सभा कहते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य धनी तथाउच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। यह एक प्रकार का वंशानुगत सदन है। इसे ब्रिटेन के निवासियों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का प्रतीक कहा जाता है।

लॉर्ड सभा का संगठन : -

लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। चूंकि यह एक वंशानुगत सदन है, अत: इसके सदस्यों की संख्या जन्म व मृत्यु से घटती-बढ़ती रहती है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को निम्न तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है

(1) आध्यात्मिक लॉर्ड : -

इस श्रेणी में 26 सदस्य होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड बड़े गिरजाघरों के पादरी तथा बिशप होते हैं। ये सभा की कार्यवाही में प्रायः कम ही भाग लेते हैं।

(2) वंशानुगत या पैतृक पीयर :-

दिसम्बर, 1999 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशानुगत पीयरों की तीन श्रेणियाँ हैं

(i) दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य,

(ii) ऐसे पदाधिकारी जिन्हें सम्पूर्ण सदन निर्वाचित करता है,

(iii) वर्तमान में राजघराने के सदस्य के रूप में ये75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 16 पदाधिकारी सदस्य हैं

(3) आजीवन पीयर :-

इस श्रेणी के पीयर सन् 1958 के 'आजीवन पीयरेज अधिनियम के अन्तर्गत बनाए जाते हैं। ये सदस्य ख्याति प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों को आजीवन सदस्य बनाया जाता है।
इस श्रेणी में स्त्रियाँ भी सदस्य बन सकती हैं।

लॉर्ड सभा का स्पीकर :-

वर्ष 2005 तक इंग्लैण्ड में यह व्यवस्था थी कि सम्राट् द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था। लेकिन । Constitutional Reform Act, 2005 के अनुसार अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए अब स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है। कॉमन सभा के अध्यक्ष के समान ही लॉर्ड सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं।

लॉर्ड चांसलर:-

Constitutional Reform Act, 2005 के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है, लेकिन अब वह ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य मात्र है। अब वह लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता।

अन्य पदाधिकारी :-

स्पीकर के अतिरिक्त लॉर्ड सभा में कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते हैं; जैसे-रिकॉर्ड दिखाने के लिए क्लर्क, जेण्टलमैन असर ऑफ दी ब्लैक रॉड,सार्जेण्ट एट आर्स आदि ।

लॉर्ड सभा की गणपूर्ति :-

(Quorum) लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं । लॉर्ड सभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों से हो जाती है, परन्तु किसी विधेयक को पारित कराने के लिए कम-से-कम 30 सदस्यों की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। सप्ताह में 3 या 4 बार एक-दो घण्टे के लिए लॉर्ड सभा की बैठकें होती हैं।

लॉर्ड सभा के कार्य तथा शक्तियाँ :-
लॉर्ड सभा के अधिकारों और कार्यों मे समय के साथ - साथ परिवर्तन होते रहे है। प्राचीन काल मे कॉमन सभा की तुलना मे इसकी शक्तियां कांहीं अधिक थी । किन्तु 19वीं सदी के आते - आते लॉर्ड सभा की शक्तियां कम होती गयी और प्रजातन्त्र के विकास ने लोक निर्वाचित कॉमन्स सभा की शक्तियों में अपार वृद्धि कर दी ।
लॉर्ड सभा के कार्य तथा शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट कर सकते हैं.-

(1) विधायी शक्तियाँ तथा कार्य :-

सन् 1911 से पूर्व लॉर्ड सभा को अवित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थीं। किसी भी साधारण विधेयक के लिए यह आवश्यक था कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाए। परन्तु सन् 1911 तथा सन् 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति को बदल दिया है । सन् 1911 के अधिनियम के अनुसार कॉमन सभा के द्वारा पारित साधारण विधेयकों को लॉर्ड सभा केवल 2 वर्ष की देरी लगा सकती है। सन् 1949 के अधिनियम के द्वारा यह अवधि1 वर्ष कर दी गई है। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक पारित माना जाएगा।

(2) परामर्श सम्बन्धी कार्य :-

18वीं शताब्दी से पूर्व लॉर्ड सभा राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। परन्तु अब राजा कैबिनेट के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तथा कैबिनेट अपना त्याग-पत्र दे देती है, तो राजा को परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है, तो राजा लॉर्ड सभा से परामर्श ले सकता है।

(3) वित्तीय कार्य तथा शक्तियाँ :-

धन विधेयक पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कॉमन सभा से पारित हो जाने के पश्चात् उनको लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्तियाँ नहीं के समान हैं। लॉर्ड सभा में न तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही उसमें संशोधन किया जा सकता है । एक माह की अवधि समाप्त हो जाने पर विधेयक कानून बन जाता है। एक माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को राजा की.स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। स्पष्ट है कि लॉर्ड सभा को धन विधेयक को 1 माह तक रोके रखने का अधिकार है।

(4) कार्यपालिका शक्तियों :-

लॉर्ड सभा मन्त्रिमण्डल को भंग नहीं कर सकती है। मन्त्रिमण्डल को केवल. कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है। मन्त्रिमण्डल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, परन्तु लॉर्ड सभा के सदस्यों को मन्त्रियों में प्रश्न पूछने का अधिकार है। लॉर्ड सभा वाद-विवाद के द्वारा भी मन्त्रिमण्डल को प्रभावित कर सकती है।

(5) न्यायिक कार्य एवं शक्तियाँ :-

इस क्षेत्र में लॉर्ड सभा को महत्त्वपूर्ण शक्तियां मिली हुई हैं। ये शक्तियाँ कॉमन सभा को प्राप्त नहीं हैं। लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, परन्तु समस्त लॉर्ड यह कार्य नहीं करते। यह कार्य केवल 9 न्यायिक लॉर्ड द्वारा किया जाता है। जब लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करती है, तो इसका अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर होता है।